U;k;ky; HkwicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkusj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 46@2021

1- नौरगंनाथ पुत्र श्री रामुनाथ जाति सिद्व निवासी बादडिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।

vihykUV

cuke

1. बुद्वनाथ पुत्र श्री रामनाथ जाति सिद्व निवासी बादडिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
2. डालनाथ पुत्र श्री रामनाथ जाति सिद्व निवासी बादडिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
3. केशरनाथ पुत्र श्री रामनाथ जाति सिद्व निवासी बादडिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
4. पेमनाथ पुत्र श्री रामनाथ जाति सिद्व निवासी बादडिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
5. भागूनाथ पुत्र श्री रामनाथ जाति सिद्व निवासी बादडिया तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर
7. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार भानीपुरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।

–jLikM.Vl

mifLFkfr%& 1. श्री राजेन्द्र सिह शिमला अधिवक्ता अपीलांट्

2. श्री शंकरदास ... अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:39 IST
Reason: SelfAttested

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh ljnkj'kgj ftyk p: d fu.k; fnukd 10-09-2021 d fo:} vihy vUrxr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—21.10.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 10.09.2021 के विरूद्व पेश हुई है । अपीलांट ने वादगत कृषि वाके रोही ग्राम बादडिया तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित है ।

1. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही बादडिया तहसील सरदारशहर में ख0न0 101 तादादी 10.1200 हैक्टयर, ख0न0 151 तादादी 7.8100 हैक्टयर, ख0न0 136 तादादी 6.4100 हैक्टयर, ख0न0 148 तादादी 2.1400 हैक्टयर, ख0न0 160 तादादी 2.5400 हैक्टयर, ख0न0 121 तादादी 7.3300 हैक्टयर, ख0न0 122 तादादी 7.2000 हैक्टयर, ख0न0 123 तादादी 7.3300 हैक्टयर कुल तादादी 50.88 हैक्टयर भूमि है जिसमें अपीलांट के साथ अपने भाईयो का 1/6 1/6 हिस्सा विरासतन बनता है । सभी अपने हक व हिस्सा पर कब्जा काश्त कर रहे है । रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जिसमें अच्छी व उपजाउ भूमि को अपने नाम अंकित कर ली व कम उपजाउ व कम कीमत की भूमि को अपीलांट के नाम से अपने दावे में अंकित करते हुए कथन किया कि उक्त भूमि पर वह गत 17 वर्षो से काबिज चले आ रहे है । उक्त भूमि पर पंचगणो द्वारा कब्जा करवाया गया था । यदि 17 सालो पहले अपने माता पिता के कहने पर सामाजिक पंचगणो द्वारा बंटवारा किया जाता तो यह बंटवारा 1/6 1/6 हिस्सा न होकर 1/7 1/7 हिस्सा होना चाहिये था । पूर्व में भाई बंटवारा अनुसार प्रार्थीगण सं0 1 ता 4 उसी अनुसार काबिज काश्त है जिसकी सहमती प्रतिवादी सं0 3 ता 4 द्वारा इकबाल जवाब दावा में प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं0 3 व 4 के अनुसार अप्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त भूमि पर मकान व टयुबवैल बना रखे है । प्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कुण्ड व झोपडी बना रखी है । इन तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीगण [illegible] 2 की भूमि सिचिंत है जिसे उन्होने स्वीकार किया है । ख0न0 10[illegible] अपीलांट नोरंगनाथ व रेस्पो0 सं07 केशरनाथ का मकान बना हुआ है । रेस्पो0 [illegible] 1,2,4 व 5 ने आपस में दुरभी संधी कर दावा प्रस्तुत किया है जिसका [illegible] अपीलांट को आर्थिक रूप से कमजोर करना है व अपीलांट को कम की[illegible] व कम उपजाउ भूमि देना है । अपीलांट की यह भूमि पैतृक कृर्षि भूमि है जो उसे विरासतन में मिली है । अपीलांट अच्छी से अच्छी व खराब से खराब भूमि बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:39 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थीगण स0 1 बुद्वनाथ ने अपना कब्जा काश्त कुल ख0स0 यथा 101,148,136 में होना अंकित किया है किस खसरे में कुण्ड व झोपडी बनी हुई है स्पष्ट उल्लेख नही है तीनो खसरे अलग अलग है । ख0स0 101 बहुत दुरी पर स्थित है जहां अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 का मकान बने हुऐ है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांअ आरआरडी 1986 पेज 214, आरआरडी 86 पेज न049 आरआरडी 77 पेज न0 374 आरआरडी 78 पेज न0 639 पेश किये है । अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.21 को खारिज करावें ।

2. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 101 तादादी 10.1200 हैक्टयर, ख0न0 151 तादादी 7.8100 हैक्टयर, ख0न0 136 तादादी 6.4100 हैक्टयर, ख0न0 148 तादादी 2.1400 हैक्टयर, ख0न0 160 तादादी 2.5400 हैक्टयर, ख0न0 121 तादादी 7.3300 हैक्टयर, ख0न0 122 तादादी 7.2000 हैक्टयर, ख0न0 123 तादादी 7.3300 हैक्टयर कुल तादादी 50.88 हैक्टयर भूमि है जिसमें सभी पक्षकारों का 1/6 1/6 हिस्सा विरासतन बनता है । सभी पक्षकार अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है विवादित सभी खसरे राजस्व रेकार्ड में समान रूप से उपजाउ भूमि है । प्रार्थी सं0 1 व 2 ने अपनी कब्जा काश्त भूमि पर मकान व टयुब वैल बना रखा है । विवादित कृषि भूमि में पूर्व में ही 17 साल पहले अपने माता पिता के कहने पर सामाजिक पंचगणों द्वारा भाई बंटवारा किया गया था उसी अनुसार सभी पक्षकार अपनी अपनी भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे हे व सुविधा अनुसार टयुब वैल मकान कुण्ड व झोपडिया बना रखी है । विवादित कृषि भूमि का स्वरूप सामान रूप से है । ख0न0 101 जो आबादी के पास बसा हुआ है जिसका किसी भी पक्षकार का कोई विवाद नही है बाकि कृषि भूमि समान रूप से उपजाउ है । जब तक अधिनस्थ न्यायालय में जैरकार दावे का निर्णय नही हो जाता है तब तक सभी पक्षकारों को जरिये स्थगन आदेश के पाबन्द किया जाना आवश्यक था ताकि कोई भी पक्षकार अपनी भूमि क्रय व्यय या खुर्दबुर्द ना कर सके । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2021 की पालना यथावत रखी जावे । अतः अपील [illegible] खारिज की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:39 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने अपीलांट/रेस्पो0 पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । वादगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिस पर सभी पक्षकार पूर्व में कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । राजस्व रेकार्ड के अनुसार सम्पूर्ण कृषि भूमि का स्वरूप समान है । ख0न0 101 में मकान कुण्ड झोपडिया व टयुब

वैल इत्यादि बनाये हुऐ है । रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि 17 साल पहले अपने माता पिता के कहने पर सामाजिक पंचगणो द्वारा भाई बंटवारा किया गया उसी अनुसार सभी पक्षकार अपनी अपनी कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है । यदि रेस्पो0 के पास पंचगणो द्वारा किया गया भाई बंटवारे का कोई साक्ष्य सबुत है तो अधिनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतत्र है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि का कब्जा काश्त की तहसीलदार स्तर पर मौका रिपोर्ट मंगवाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं राजस्व मण्डल के आदेशानुसार मिटस एण्ड बाउण्डस एवम पैतृक सम्पति पर सभी का प्रत्येक ईंच पर समान हक हिस्सा के हिसाब से प्राथमिक डिक्री मंगवाई जाकर कार्यवाही की जावे ।

4. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुऐ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

5. निर्णय आज दिंनाक 21.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
HkwizcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 17:03:39 IST
Reason: SelfAttested